



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 625]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.8	संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञित का प्रदाय.	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रम आयुक्त.	30 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	45 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/श्रमायुक्त.
2.9	संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञित के नवीनीकरण का प्रदाय.	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रम आयुक्त.	30 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	45 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/श्रमायुक्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.10	संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञित में संशोधन किया जाना.	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/ जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रम आयुक्त.	30 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	45 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रमायुक्त.
2.11	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6, 7 सहपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञित जारी किया जाना। (A) 100 श्रमिकों तक का नियोजन. (B) 100 से अधिक श्रमिकों का नियोजन.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म.प्र., इन्दौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा). प्राधिकृत संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.	30 कार्य दिवस	श्रमायुक्त, म.प्र. इन्दौर संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.	45 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग. श्रमायुक्त, म.प्र., इन्दौर
2.12	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6, 7 तथा सहपठित नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की अनुज्ञित का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना.	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का संभाग स्तरीय प्राधिकृत अधिकारी (संयुक्त संचालक).	30 कार्य दिवस	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग.
2.13	वाणिज्यिक स्थापनाओं/ मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण.	श्रम विभाग का जिला संभाग स्तरीय प्राधिकृत अधिकारी.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग.
2.14	कारखानों से स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण.	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का संभाग स्तरीय प्राधिकृत अधिकारी (उप संचालक/ सहायक संचालक).	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.